

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री प्रकाश सियाक, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सेडिया (जालौर) का स्थानान्तरण राउमावि, लाखनी (जालौर) किया गया। श्री प्रकाश सियाक ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या-16617/2019 श्री प्रकाश सियाक बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या-16617/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-05.11.19 में याचिकार्थी श्री प्रकाश सियाक को प्रत्यर्धी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री प्रकाश सियाक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर न्यायालय स्थगन के कारण दोहरा पदस्थापन होने के कारण पदस्थापन राउमावि, बावरला-सांचौर, जालौर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

याचिकार्थी से प्राप्त सबधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी श्री प्रकाश सियाक का समायोजन राउमावि, बावरला-सांचौर, जालौर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./प्रकाश सियाक/16617/2019 दिनांक-

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

18.11.19

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. सबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. सबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि), जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सबधित प्रधानाचार्य-
9. सबधित कार्मिक-
10. गार्ड फजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर